

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 169/2022 दायर दिनांक 12.05.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. भागूराम पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।	1. तिलोक पुत्र राधाकिशन 2. भोमाराम पुत्र राधाकिशन 3. राजुराम पुत्र स्व. लादुराम 4. सन्तोष पुत्री स्व0 लादुराम 5. कमला पुत्री स्व. लादुराम 6. छोटी पुत्री स्व. लादुराम 7. भंवरी देवी पत्नी स्व. लादुराम समस्त जाति जाट निवासीगण सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज 8. ज. थार. ग्रा. बैंक शाखा नूवा 9. तहसीलदार डीडवाना
बनाम्	

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थित:-

1. श्री सुनील कुमार मिश्रा वकील वादी।
2. श्री तुफैल खान वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

--: निर्णय :-

दिनांक 25.03.2026

वादी द्वारा दिनांक 12.05.2022 को राजस्व वाद वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा 449 रकबा 0.0900 गे.मु.बेरा, खसरा संख्या 450 रकबा 0.0200 बरानी उत्तम, खसरा संख्या 451 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खसरा संख्या 452 रकबा 00100 गै.मु.चाह, खसरा संख्या 453 रकबा 0.0200 बरानी उत्तम, खसरा संख्या 454 रकबा 3.1000 चाही 3, खसरा संख्या 455 रकबा 0.1500 है. गै. मु. सडक, खसरा संख्या 457 रकबा 0.1300 गै.मु. सडक, खसरा संख्या 458 रकबा 2.7300 बरानी उत्तम, खसरा संख्या 459 रकबा 0.0400 गै.मु. रास्ता कुल खसरा 10 रकबा 6.3000 है. वाके सरहद सुद्रासन का वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। उक्त वाद शहादत वादी में विचाराधीन था। तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से दिनांक 16.01.2026 को आदेश 06 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद शहादत वादी में जैरतवीज है। मगर उक्त प्रकरण की पत्रावली में राजीनामा हो चुका है। इसलिए उक्त प्रकरण की पत्रावली में विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 20.01.2028 की राजीनामा पत्र कर राजीनामे में बताया कि हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा 449 रकबा 0.0900 गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 450 रकबा 0.0200 बारानी उत्तम, खसरा संख्या 451 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खसरा संख्या 452 रकबा 00100 गै.मु.चाह, खसरा संख्या 453 रकबा 0.0200 बारानी उत्तम, खसरा संख्या 454 रकबा 3.1000 चाही 3, खसरा संख्या 455 रकबा 0.1500 है. गै. मु. सडक, खसरा संख्या 457 रकबा 0.1300 गै.मु. सडक, खसरा संख्या 458 रकबा 2.7300 बारानी उत्तम, खसरा संख्या 459 रकबा 0.0400 गै.मु. सारता कुल खसरा 10 रकबा 6.3000 है. भूमि तिलोक पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/6 राहिन आरएमजीबी शाखा नुंवा, भागूराम पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/6 राहिन ज. थार ग्रा. बैंक शाखा नुंवा, भोमाराम पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/6 राहिन ज. थार ग्रा. बैंक शाखा नुंवा राजू बाजिया पुत्र लादूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है। दोनों पक्षों ने निम्न प्रकार से बंटवारा कर लिया है -

(क) राजू बाजिया पुत्र लादूराम जाति जाट सा. देह के बंट में आई भूमि:

खसरा नम्बर 450 रकबा 0.02 हैक्टेयर बारानी उत्तम

खसरा नम्बर 451 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै० मु० चाह०

454 मि. रकबा 2.83 हैक्टेयर

कुल किता 3 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर

(ख) तिलोक पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/3 राहिन हिस्सा 0.9733 हैक्टेयर आरएमजीबी शाखा नुंवाए भागूराम पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/3 राहिन हिस्सा 0.9733 है० ज. थार. ग्रा. बैंक शाखा नूवा भोमाराम पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/3 राहिन हिस्सा 0.9733 है० ज. थार ग्रा. बैंक शाखा नुवा जाति जाट साण् देह के बंट में आई भूमि :-

खसरा नम्बर 458 रकबा 2.73 हैक्टेयर बारानी उत्तम

खसरा नम्बर 454 मि. रकबा 0.22 हैक्टेयर

खसरा नम्बर 452 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै० मु० चाह

खसरा नम्बर 453 रकबा 0.02 हैक्टेयर बारानी उत्तम

कुल किता 4 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर

(ग) तिलोक 16 भागूराम 1/6, भोमाराम 1/6 व राजू बाजिया 1/2 की संयुक्त खातेदारी व बंट की भूमि:

खसरा नम्बर 454 गिन रकबा 0.05 हैक्टेयर

खसरा नम्बर 449 रकबा 0.09 हैक्टेयर

खसरा नम्बर 455 रकबा 0.15 हैक्टेयर

खसरा नम्बर 457 रकबा 0.13 हैक्टेयर



Wheas
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

खसरा नम्बर 459 रकबा 0.04 हैक्टियर

कुल किता 05 कुल रकबा 0.46 हैक्टियर

उक्त बंट अनुसार ही पक्षकारान मौके पर काबिज हैए जिसका नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" राजीनामा के साथ पेश है। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शा को राजीनामा का भाग समझा जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त बंटवारे अनुसार व नजरी नक्शा अनुसार बंटवारे का आदेश प्रदान कर राजस्व रेकर्ड व नजरी नक्शा में अमल दरामद कराने का सादर आदेश प्रदान करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व इकवालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 द्वारा हक त्याग होने से वर्तमान खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का नाम हटाया गया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया। बजावती पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है। अतः पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

--: आदेश :-

वाके शरहद सुद्रारन के खेत खसरा 449 रकबा 0.0900 गे.मु.बेरा, खसरा संख्या 450 रकबा 0.0200 बरानी उत्तम, खसरा संख्या 451 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खसरा संख्या 452 रकबा 0.0100 गै.मु.चाह, खसरा संख्या 453 रकबा 0.0200 बरानी उत्तम, खसरा संख्या 454 रकबा 3.1000 चाही 3, खसरा संख्या 455 रकबा 0.1500 है. गै. मु. सडक, खसरा संख्या 457 रकबा 0.1300 गै.मु. सडक, खसरा संख्या 458 रकबा 2.7300 बरानी उत्तम, खसरा संख्या 459 रकबा 0.0400 गै.मु. रास्ता कुल खसरा 10 रकबा 6.3000 है. भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य प्रस्तुत राजीनामा में वर्णितानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाकर खाता विभाजन के आदेश प्रदान किये जाते है। राजीनामा निर्णय का अन्तिम अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।



vikas
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपस्थित अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

vikas
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपस्थित अधिकारी
डीडवाना